नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 09/2017
सरकार बनाम नासीर अली वगैरह
निर्णय दिनांकः 19.11.2024

न्यायालय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा(राज.)

पीठासीन अधिकारी : रजनी कुमावत, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 09 सन् 2017

राजस्थान राज्य

// **बनाम** //

01- नासीर अली पुत्र अनार अली उम्र वयस्क निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
-(**दिनांक 10.06.2022 से मफरूर**)

02- उदयलाल पुत्र गंगाराम उम्र वयस्क निवासी भादसौड़ा थाना भादसौड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) -(**दिनांक 10.06.2022 से मफरूर**)

03- अकील उर्फ अल्ताफ पुत्र कमरूदिन उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) -(**दिनांक 21.11.2022 से मफरूर**)

04- देवीलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क निवासी हनुमान कॉलोन मजीद खां के मकान में धरियावाद थाना धरियावाद जिला प्रतापगढ़ (राज.)

05- राजु खां पुत्र शरीफ खां उम्र वयस्क निवासी कलेन्द्रखेड़ा थाना निकुम्भ जिला प्रतापगढ़ (राज.) -(**दिनांक 10.06.2022 से मफरूर**)

06- हिरालाल पुत्र रतनलाल उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) -(**दिनांक 10.06.2022 से मफरूर**)

07- दिलशाद उर्फ तनु पुत्र अनार अली निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) -(**दिनांक 21.11.2022 से मफरूर**)

-अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भादस.

उपस्थिति :–

01- विद्वान् अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से

02- श्री उदयसिंह, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त देवीलाल की ओर से

:: **निर्णय** :: **दिनांक- 19.11.2024**

01- प्रकरण में अभियुक्तगण 01- नासीर अली पुत्र अनार अली उम्र वयस्क निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 02- उदयलाल पुत्र गंगाराम उम्र वयस्क निवासी भादसौड़ा थाना भादसौड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 03- अकील उर्फ अल्ताफ पुत्र कमरूदिन उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 04- राजु खां पुत्र शरीफ खां उम्र वयस्क निवासी कलेन्द्रखेड़ा थाना निकुम्भ जिला प्रतापगढ़ (राज.), 05- हिरालाल पुत्र रतनलाल उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) व 06- दिलशाद उर्फ तनु पुत्र अनार अली निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मफरूर हैं अतः निर्णय देवीलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क निवासी हनुमान कॉलोन मजीद खां के मकान में धरियावाद थाना धरियावाद जिला प्रतापगढ़ (राज.) की हद तक किया जा रहा है। प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं, कि दिनांक 19.06.2016 को प्रार्थी नरेश चंद्र पुत्र किशनलाल निवासी ठीकरिया हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय बांसवाड़ा ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि घटना आज दिनांक 19.06.2016 को श्रीमान् सेशन जज साहब ने सुबह 7.30 एएम पर उसे आवश्यक कार्य से बंगले पर बुलाया था। वह बंगले पर गया। देखा कि बंगले की बाउंड्रीवाल से अंदर की तरफ खुली जगह में व बंगले में बने हुए कमरों के सामने खुली जगह में लगा हुआ चंदन का बड़ा व पुराना पेड़ लगा हुआ था। जिसका तना व झाडियां नीचे गिरी हुयी थी व गोड कटा हुआ था। जिसका पेड़ी (तना) नहीं था। कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में चंदन के पेड़ को काटकर चुरा कर ले गये हैं वगैरह...।

02- उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 261/2016 अंतर्गत धारा 380 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नासीर, उदयलाल, अकील, देवीलाल, राजु व हिरालाल के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में व अभियुक्त दिलशाद उर्फ तनु के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में धारा 173(8) सीआरपीसी में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। अभियुक्तगण नासीर, उदयलाल, अकील, देवीलाल, राजु व हिरालाल के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में व अभियुक्त दिलशाद उर्फ तनु के विरुद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया। माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बांसवाड़ा/श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश क्रमांक 68 दिनांक 21.08.2020 की पालना में यह प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में अंतरित किया गया है।

03- बहस चार्ज उभय पक्ष के सुनी गयी। अभियुक्तगण नासीर, उदयलाल, अकील, देवीलाल, राजु व हिरालाल के विरूद्ध धारा 457, 380 भादंसं में आगे विचारण के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद होने से उक्त अभियुक्तगण को उक्त धाराओं का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराधों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू 01 नरेशचंद्र, पीडब्ल्यू 02 खोमचंद्र, पीडब्ल्यू 03 भोमसिंह, पीडब्ल्यू 04 चुनाराम, पीडब्ल्यू 05 श्रवण कुमार, पीडब्ल्यू 06 लाबुराम, पीडब्ल्यू 07 दिनेश चंद्र, पीडब्ल्यू 08 मुकेश चौधरी, पीडब्ल्यू 09 दलपत सिंह, पीडब्ल्यू 10 देशराज, पीडब्ल्यू 11 महेंद्र कुमार व पीडब्ल्यू 12 अशोक कुमार के बयान लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01

रिपोर्ट, प्रदर्श पी 02 नक्शामौका, प्रदर्श पी 03 फर्द तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी 04 फर्द फॉर्मल जब्ती इनोवा गाड़ी, प्रदर्श पी 05 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अकील, प्रदर्श पी 06 फर्द बरामदगी स्थल अभियुक्त अकील, प्रदर्श पी 07 मौका तस्दीक अभियुक्त अकील, प्रदर्श पी 08 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त देवीलाल, प्रदर्श पी 09 फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल, प्रदर्श पी 10 फर्द जब्ती बोलेरो गाड़ी, प्रदर्श पी 11 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त उदयलाल, प्रदर्श पी 12 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजु, प्रदर्श पी 13 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हिरालाल, प्रदर्श पी 14 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त नासीर, प्रदर्श पी 15 फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त हीरालाल, प्रदर्श पी 16 फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त उदयलाल, प्रदर्श पी 17 फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त राजु, प्रदर्श पी 18 फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त राजु, प्रदर्श पी 19, प्रदर्श पी 20 व पी 21 अभियुक्त देवीलाल की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रदर्श पी 22 अभियुक्त उदयलाल एवं राजु की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रदर्श पी 23 अभियुक्त हिरालाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रदर्श पी 24 फर्द मौका तस्दीक अभियुक्त हिरालाल, प्रदर्श पी 25 फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त हिरालाल, प्रदर्श पी 26 अभियुक्त नासिर की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना, प्रदर्श पी 27 चाक एफआईआर को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया। प्रकरण में सारभूत साक्ष्य आ जाने से व गवाह शेष नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गयी।

04- अभियुक्त देवीलाल को उसके विरूद्ध आई साक्ष्य के लिए धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत् परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा। जिस पर साक्ष्य सफाई बंद कर बहस अंतिम उभय पक्षकारान के सुनी गयी।

05- दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त का यह कहना है, कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करार दिया जावे।

06- इसके विपरीत विद्वान् अभियोजन अधिकारी का कहना है कि परिवादी ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कहानी की पूर्णतः ताईद की है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतः प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे। सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07- उभय पक्षों के तर्कों के संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय प्रश्न यह है, कि-

01- आया अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18.06.2016 व 19.06.2016 की मध्य रात्रि में किसी समय मौजा बांसवाड़ा में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बांसवाड़ा को राजकीय आवासीय परिसर में चोरी करने के आशय से अनधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कारित किया व उक्त आवास में लगे चंदन के पेड़ को काटकर अपने साथ ले जाकर चोरी की?

02. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा?

08- अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखा जावे तो प्रकरण में सर्वप्रथम पी.डब्ल्यू 1 नरेशचंद्र द्वारा

घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 इस आशय की दर्ज कराई है कि दिनांक 19.06.2016 को श्रीमान् सेशन जज साहब ने सुबह 7.30 एएम पर उसे आवश्यक कार्य से बंगले पर बुलाया था। वह बंगले पर गया तो देखा कि बंगले की बाउंड्री वाल से अंदर की तरफ खुली जगह में व बंगले में बने हुए कमरों के सामने खुली जगह में लगा हुआ चंदन का बड़ा व पुराना पेड़ लगा हुआ था। जिसका तना व झाडियां नीचे गिरी हुयी थी व गोड कटा हुआ था। जिसका पेड़ी (तना) नहीं था। कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में चंदन के पेड़ को काटकर चुरा कर ले गये हैं। गवाह ने रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष बतौर पी.डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित होकर दोहराया है और कथन किया है कि करीब 7-8 साल पहले की बात है। उस रोज वह श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय सीविल लाइन्स में कार्यरत था। उस रोज सुबह कोर्ट में सुबह 7.00-7.30 एएम बजे किसी काम से उनके सरकारी आवास जो सीविल लाइन्स में है वहां भेजा था। वहां बंगले पर पहुंचा तो देखा कि चंदन का पेड़ कटा हुआ था जो बड़ा था। जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति रात को काटकर चुराकर ले गया। जिसे उसने सूचित किया व रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गयी है।

इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 19.06.2016 को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के यहां कार्यरत था। उस रोज वह किसी काम से उनके सरकारी आवास पर गया जहां पर उसने देखा कि चंदन का पेड़ कटा हुआ था। कोई अज्ञात व्यक्ति रात को पेड़ को काटकर चुराकर ले गया। जिस पर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई।

09- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 3 भोमसिंह व पी.डब्ल्यू 8 मुकेश चौधरी स्वयं के समक्ष अभियुक्त देवीलाल की निशानदेही से घटनास्थल का मौका तस्दीक करने, फर्द गिरफ्तारी व अभियुक्त अकील की फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी के गवाह हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 8 मुकेश ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 21.08.2016 को थाना कोतवाली के प्रकरण सं. 261/2016 धारा 380 भादंसं में मुलजिम देवीलाल को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8 बनाई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त प्रकरण में अभियुक्त अकिल उर्फ अल्ताफ के कब्जे से चंदन की लकड़ी के टुकड़े जब्त कर फर्द जब्ती व बरामदगी स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 6 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। मुलजिम अकिल व देवीलाल की निशानदेही से घटनास्थल की तस्दीक करवाई थी जो प्रदर्श पी 7 व 9 है जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रकरण में काम में ली गई बोलेरो को थाना मंगलवा से जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 10 बनाई जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। बोलेरो गाड़ी के नंबर आरजे 27 5607 है। फर्द गिरफ्तारी उदयलाल व राजु खां प्रदर्श पी 11 व 12 बनाई थी जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे उसके मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों पर अविश्वास किया जा सके। इसी संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू 3 भोमसिंह ने भी इसी प्रकार के कथन किये हैं। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 07.08.2016 को थाना कोतवाली में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 261/2016 में धारा 380 भादसं में अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त अकिल उर्फ अल्ताफ को जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 गिरफ्तार किया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 09.08.2016 को अभियुक्त अकिल की निशानदेही से उसके चित्तोडगढ के मकान पर पहुंचे जहां अभियुक्त ने आगे चलकर मकान के अंदर चोक के दाहिने

तरफ बाथरूम के पास खाली पडी जगह से कुलर कागज के गत्ते व टॉट को हटाकर चन्दन की लकडी छिपा रखी बरामद करवाई तथा बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 6 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10.08.2016 को अभियुक्त अकिल की निशानदेही से घटना स्थल का फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 7 अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब किया गया जिसपर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.08.2016 को अभियुक्त देवीलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 8 गिरफ्तार किया गया जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिन अभियुक्त देवीलाल की निशानदेही से फर्द मौका तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी 9 मुर्तिब किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में प्रयुक्त बोलेरो को एक अन्य प्रकरण 90/2016 में थाना मंगलवाड चित्तोडगढ से दिनांक 30.08.2016 को जरिये फर्द प्रदर्श पी 10 जब्त किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 31.08.2016 को अभियुक्त उदयलाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 गिरफ्तार किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन अभियुक्त राजु खां को जरिये फर्द प्रदर्श पी 12 गिरफ्तार किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 19.09.2016 को अभियुक्त हिरालाल को जरिये फर्द प्रदर्श पी 13 गिरफ्तार किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी अभियुक्त से कोई चीज बरामद नहीं की।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्त अकील की निशानदेही से उसके मकान से चंदन की लड़की बरामद किये जाना बताया है। गवाहों ने अभियुक्त अकील की निशानदेही से फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल बनाना बताया है जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। साथ ही अभियुक्त देवीलाल की निशानदेही से घटनास्थल का मौका तस्दीक करना बताया है जो प्रदर्श पी 9 है। जिरह में गवाह पी.डब्ल्यू 3 भोमसिंह ने

स्वीकार किया कि उन्होंने किसी भी अभियुक्त से कोई चीज बरामद नहीं की।

10- प्रकरण में अभियुक्तगण उदयलाल व राजु से की गई जब्ती के गवाह पी.डब्ल्यू 5 श्रवण कुमार व पी.डब्ल्यू 10 देशराज के रूप में परीक्षित हुए हैं। उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्तगण उदयलाल व राजु की निशानदेही से उक्त दोनों अभियुक्तगण की घटनास्थाल तस्दीक प्रदर्श पी 18 बनाने का कथन किया है। गवाहों ने यह भी बताया कि अभियुक्तगण राजु व उदयलाल से चंदन की लकड़ी जब्ती की थी जिसकी फर्द जब्ती क्रमशः प्रदर्श पी 17 व पी 18 हैं जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 5 श्रवण कुमार ने जिरह में स्वीकार किया कि जब्तशुदा माल के मालिकाना हक के संबंध में उन्होंने जानकारी एकत्र नहीं की।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अभियुक्तगण उदयलाल व राजु की निशानदेही से उनके कब्जे से चंदन की लकड़ियां बरामद किये जाने का कथन किया है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 16 व पी 17 है। इसी संबंध में प्रदर्श पी 16 फर्द जब्ती अभियुक्त उदयलाल से का अवलोकन किया गया जिसमें जाहिर हुआ है कि बरामदगी स्थल होटल जोगणीया के पीछे बनी हुई जिस पर तिरपाल डाल रखा है से बरामद किया जाना बताया है व फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त राजु प्रदर्श पी 17 का अवलोकन किया जिससे बामदगी स्थल अभियुक्त राजु का मकान बताया है तो इस संबंध में प्रदर्श पी 16, 17 के गवाह पी.डब्ल्यू 5 श्रवण कुमार व पी.डब्ल्यू 10 देशराज ने अपने बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि इनके समक्ष किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी अभियुक्त उदयलाल से हुई हो।

11- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 4 चुनाराम व पी.डब्ल्यू 11 महेंद्र कुमार अभियुक्त नासीर से की गई जब्ती के गवाह हैं। उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्त नासीर को अनुसंधान अधिकारी द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 गिरफ्तार करना बताया है। गवाहों ने अभियुक्त नासीर से उसकी निशानदेही से उसके मकान से एक सफेद कपड़े में चंदन की लकड़ी को गट्टे को जब्त करना बताया है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 15 है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 4 चुनाराम ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्होंने जब्तशुदा लकड़ी के मालिकाना हक के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करवायी।

इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में अभियुक्त नासीर की निशानदेही से उसके मकान से एक सफेद कपड़े में चंदन की लकड़ियों को बरामद किये जाने का कथन किया है।

12- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 06 लाबुराम व पी.डब्ल्यू 2 खोमचंद्र मौका तस्दीक अभियुक्त नासीर के गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 03.10.2016 को थाना कोतवाली में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 261/2016 धारा 380 भादसं में अनुसंधान अधिकारी के साथ अभियुक्त को पकडने के लिये गये थे। वहां से इनोवा गाडी नंबर आरजे 06 युऐ 9000 को जब्त किया। गाडी कालुराम पिता सोना जाट निवासी हरणी महादेव थाना मनडो जिला भिलवाडा के खेत से जब्त की थी। प्रदर्श पी 3 फर्द नक्षा मौका तस्दीक अभियुक्त नासीर की निशानदेही से मुर्तिब किया था जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती इनोवा गाडी प्रदर्श पी 4 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह पी.डब्ल्यू 2 खोमचंद्र ने अपने बयानों में बताया कि वह दिनांक 19.06.2016 को थाना कोतवाली में कानि के पद पर तैनात था। उस दिन प्रकरण संख्या 261/2016

धारा 380 भादसं में अनुसंधान अधिकारी श्री दरपत सिंह एएसआई ने फर्द नक्षा मौका प्रदर्श पी 2 बनाया जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्षा मौका डीजे साहब के निवास परिसर का था, निवास परिसर पर बनाया था जहां से चन्दन के पेड़ की चोरी हुई थी। दिनांक 03.10.2016 को जेर हिरासत अभियुक्त नासिर अली की निशानदेही पर फर्द तस्दीक घटना स्थल अनुसंधान अधिकारी द्वारा बनाया गया जो प्रदर्श पी 3 है जिसपर उसके हस्ताक्षर है। कोतवाली थाना में एक अन्य प्रकरण 4/16 में जप्तशुदा इनोवा गाडी आरजे 06 युऐ 9000 को हाजा प्रकरण में जरिये फर्द फॉर्मल जप्ती अनुसंधान अधिकारी द्वारा किया गया है जो प्रदर्श पी 4 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों ने अपने बयानों में घटना स्थल का मौका तस्दीक प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।**

13- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 12 अशोक कुमार अभियुक्त हिरालाल से की गई जब्ती के गवाह हैं। उक्त गवाह ने अपने बयानों में अभियुक्त हिरालाल की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार उसके किराये के मकान पर जाकर वहां तलाशी लेने पर एक कट्टे के अंदर चंदन की लकड़ी को जब्त करना बताया है जिसकी फर्द प्रदर्श पी 25 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 24 पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि उसके सामने देवीलाल के कब्जे से किसी प्रकार की जब्ती नहीं की गयी। **इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने बयानों में अभियुक्त हिरालाल से उसकी निशानीदेही से उसके किराये के मकान से चंदन की लकड़ियां जब्त करना बताया है।**

14- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 07 दिनेश चंद्र मालखाने का गवाह है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 10.08.2016 को थाना कोतवाली में मालखाना प्रभारी था। उस दिन श्री दलपत सिंह, एएसआई द्वारा अभियुक्त अकील उर्फ अलताब से जब्तशुदा एक टाट का कट्टा में गिली चंदन की लकड़ियां तोलशुदा 20 किलो 800 ग्राम को चिट चस्पा एवं दिनांक 01.09.2016 को आरोपी राजु व उदयलाल से जब्तशुदा एक सफेद कट्टे में चंदन की लकड़ियां 7 किलो जो सिल चस्पा एवं अभियुक्त उदयलाल से एक सफेद कट्टे में चंदन की लकड़ी 5 किलो सिल चस्पा किया हुआ को दिया था जो उसने मालखाना रजि. के क्रमांक 296 में इंद्राज कर मालखाना में सुरक्षित रखे गये। मूल मालखाना रजि. प्रदर्श पी 19 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 19ए है। **इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रकरण में जब्तशुदा चंदन की लकड़ियों को जमा मालखाना करने का कथन किया है।**

15- प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 09 दलपत सिंह अनुसंधान अधिकारी है जिसने प्रकरण में समस्त अनुसंधान करना अपने बयानों में बताया है। उक्त गवाह ने न्यायालय के समक्ष हुए मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह दिनांक 19.06.2016 को थाना कोतवाली में एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज प्रकरण संख्या 261/2016 धारा 380 भादस वास्ते अग्रिम अनुसंधान उसे एसआई को प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर पहुंच घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्षा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 2 है जिसपर सी से डी उसके व ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर हैं। बयान प्रार्थी एवं गवाहान के लेखबद्ध किये गये। माल मुल्जिमान की पतरेसी शुरू की गई। दौराने पतरेसी अभियुक्त देवीलाल को मौतबीरान के समक्ष गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 8 है जिसपर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त

देवीलाल के हस्ताक्षर है। बाद गिरफ्तारी देवीलाल से अनुसंधान किया गया। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना देवीलाल की प्रदर्श पी 20 है जिसपर उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर है जिसके मुताबिक देवीलाल ने साथी नासिर, राजु, उदयलाल, अकिल एवं अन्य अभियुक्त से मिलकर जज साहब, बांसवाडा के निवास स्थान सरकारी आवास से चंदन का पेड़ काटकर चोरी करके ले गये थे। अभियुक्त देवीलाल से घटना स्थल की तस्दीक कराई गई जो प्रदर्श पी 9 है जिसपर ई से एफ उसके एवं जी से एफ अभियुक्त देवीलाल के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी अकिल प्रदर्श पी 5 है जिसपर उसके व अभियुक्त अकिल के हस्ताक्षर है। बाद गिरफ्तारी अकिल से अनुसंधान किया गया। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना देवीलाल की प्रदर्श पी 21 है जिसपर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है जिसके मुताबिक अकिल ने साथीगण के साथ मिलकर जज साहब, बांसवाडा के निवास स्थान सरकारी आवास से चंदन का पेड काटकर चोरी करके ले गये थे जो उसके हिस्से में आये थे वह बरामद करा सकता है। जिसके मुताबिक अभियुक्त अकिल से मौका तस्दीक कराया। उसने बताया कि बोलेरो गाड़ी में चंदन की लकड़िया भर कर ले गये। फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 7 है जिसपर जी से एच अभियुक्त अकिल के एवं ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त मय जाप्ता अभियुक्त अकिल के निवास स्थान निकुब जिला चितोडगढ पहुंच कर अभियुक्त ने अपने घर के अंदर से चंदन की लकड़ी बरामद कराई। फर्द जप्ती चंदन की लकडी अभियुक्त अकील से प्रदर्श पी 6 है जिसपर ई से एफ उसके एवं जी से एच अभियुक्त अकिल के हस्ताक्षर है। अन्य प्रकरण में बोलेरो जप्त कर रखी थी जिसकी फर्द फॉर्मल जप्ती 10 है जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी उदयलाल एवं राजु प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 12 है जिनपर उसके व अभियुक्त के हस्ताक्षर है। बाद गिरफ्तारी अनुसंधान किया गया। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयलाल एव राजु की प्रदर्श पी

22 है जिसपर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम उदयलाल एवं ई से एफ राजु के हस्ताक्षर है जिसके मुताबिक उदयलाल ने साथीगण के साथ मिलकर जज साहब बांसवाडा के निवास स्थान सरकारी आवास से चंदन का पेड काटकर चोरी करके ले गये थे जो उसके हिस्से में आये थे वह उसको बरामद करा सकता है। जिसके मुताबिक अभियुक्त उदयलाल एवं राजु से मौका तस्दीक कराया। फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 18 है जिसपर सी से डी उसके एवं ई से एफ राजु एवं जी से एच राजु के हस्ताक्षर है। मय जाप्ता अभियुक्त उदयलाल के निवास स्थान भादसौडा जिला चित्तौड़गढ़ पहुंच कर अभियुक्त ने अपने कच्ची दुकान से चंदन की लकड़ी बरामद कराई। फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त उदयलाल से प्रदर्श पी 16 है जिसपर सी से डी उसके एवं ई से एफ अभियुक्त उदयलाल के हस्ताक्षर है। मय जाप्ता अभियुक्त राजु के निवास स्थान कलेन्द्रखेड़ा जिला चितोडगढ़ पहुंच कर अभियुक्त ने अपने मकान से चंदन की लकड़ी बरामद कराई। फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त राजु से प्रदर्श पी 17 है जिसपर सी से डी उसके एवं ई से एफ अभियुक्त राजु के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी हिरालाल प्रदर्श पी 13 है जिसपर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुक्त हिरालाल के हस्ताक्षर है। बाद गिरफ्तारी हिरालाल से अनुसंधान किया गया। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना हिरालाल की प्रदर्श पी 23 है जिसपर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है जिसके मुताबिक हिरालाल ने साथीगण के साथ मिलकर जज साहब बांसवाडा के निवास स्थान सरकारी आवास से चंदन का पेड़ काटकर चोरी करके ले गये थे जो उसके हिस्से में आये थे वह बरामद करा सकता है। जिसके मुताबिक अभियुक्त हिरालाल से मौका तस्दीक कराया। फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 24 है जिसपर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। अभियुक्त मय जाप्ता अभियुक्त हिरालाल के निवास स्थान निम्बाहेड़ा जिला चितोडगढ़ पहुंच कर अभियुक्त ने अपने किराये के

मकान से चंदन की लकड़ी बरामद कराई। फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त हिरालाल से प्रदर्श पी 25 है जिसपर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त हिरालाल के हस्ताक्षर है। फर्द फॉर्मल गिरफ्तारी नासिर प्रदर्श पी 14 है जिसपर सी से डी उसके व ई इसे एफ अभियुक्त नासिर के हस्ताक्षर है। बाद गिरफ्तारी नासिर से अनुसंधान किया गया। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नासिर की प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं जिसके मुताबिक नासिर ने साथीगण के साथ मिलकर जज साहब, बांसवाड़ा के निवास स्थान सरकारी आवास से चंदन का पेड़ काटकर चोरी करके ले गये थे जो उसके हिस्से में आये थे वह बरामद करा सकता है। जिसके मुताबिक अभियुक्त नासिर से मौका तस्दीक कराया। फर्द मौका तस्दीक प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त मय जाब्ता अभियुक्त नासिर के निवास स्थान बरखेड़ा जिला चित्तोड़गढ़ पहुंच कर अभियुक्त ने अपने किराये के मकान से चंदन की लकड़ी बरामद कराई। फर्द जब्ती चंदन की लकड़ी अभियुक्त हिरालाल से प्रदर्श पी 15 है जिस पर सी से डी उसके व ई से एफ अभियुकत के हस्ताक्षर हैं। पूर्व प्रकरण में वाहन इनोवा जब्त किया गया था। फर्द फार्मल जब्ती इनोवा प्रदर्श पी 4 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। मूल एफआईआर प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी थानाधिकारी मनीष जी चारण के हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 27 है जिस पर थानाधिकारी मनीष चारण के हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण नासिर अली, अकिल उर्फ अल्ताफ, देवीलाल, राजु खां, हिरालाल, उदयलाल के विरुद्ध धारा 457, 38 भादंसं में जुर्म प्रमाणित पाये जाने से चार्जशीट कता करने हेतु पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की। जिरह में गवाह ने स्वीकार किया कि अभियुक्त देवीलाल के मकान के मालिकाना हक के संबंध में

कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त देवीलाल से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं की।

इस प्रकार उक्त गवाह ने प्रकरण में समस्त अनुसंधान कर अभियुक्त देवीलाल से धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 20 व पी 21 प्राप्त करना बताया है जिसका अवलोकन किया गया जिसमें उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ घटना कारित कर चोरी में उसकी संलिप्ता बताई है। अन्य अभियुक्तगण की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 22, 23, 26 की निशानदेही से चंदन की लकड़ी बरामद करना बताया है।

16- इस प्रकार उपरोक्त गवाहों के बयानों का विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे प्रकरण में पी.डब्ल्यू 1 नरेश द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज कराई है जिस पर अभियुक्त देवीलाल की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 20 के आधार पर अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लयू 9 दलपत सिंह द्वारा मौका तस्दीक अभियुक्त देवीलाल से जरिये फर्द प्रदर्श पी 9 करवाया है जिसके गवाह पी.डब्लयू 3 भोमसिंह व पी.डब्ल्यू 8 मुकेश ने उक्त फर्द की ताईद की है। प्रकरण में अभियुक्त देवीलाल से किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है परंतु अभियुक्त की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी 20 अनुसंधान अधिकारी द्वारा ली गई जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसने अन्य अभियुक्तगण नासीर, उदयलाल, अकील, राजु, हीरालाल के साथ मिलकर घटना कारित की है जिस पर अन्य अभियुक्तगण के संबंध में आयी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अन्य अभियुक्तगण नासीर, उदयलाल, अकील, राजु, हीरालाल से चंदन की लकड़ी जरिये फर्द पी 6, 15, 16, 17, 25 बरामद की गयी

है जिसकी ताईद बरामदगी के गवाह पी.डब्ल्यू 5 श्रवण, पी.डब्ल्यू 10 देशराज, पी.डब्ल्यू 4 चुनाराम, पी.डब्ल्यू 11 महेंद्र कुमार व पी.डब्ल्यू 12 अशोक ने की है। जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह कथन कि बरामदगी स्थल के संबंध में स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं लिया है तो इस संबंध में न्यायालय के विनम्र मत में प्रकरण के अन्य अभियुक्तगण से जब्ती पूर्ण रूप से साबित हुई है। ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का अवलोकन किया जाना महत्वपूर्ण है। धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(पूर्व अधिनियम) में यह अंकन है कि न्यायालय तथ्यों का अस्तित्व अवधारित कर सकेगा जिसमें से यह तथ्य कि चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण नहीं बता सके या तो वो चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है उस तथ्य को न्यायालय अवधारित करेगा। इस प्रकार उक्त उपधारणा के अनुसार न्यायालय यह अवधारित कर सकता है कि चुरायी हुई संपत्ति यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से बरामद हुई है तो यह भार साबित करने कि उक्त संपत्ति चुरायी हुई नहीं है या उसके स्वामित्व की है उसका भार उस व्यक्ति/अभियुक्त पर है। अधिवक्ता अभियुक्त ने इस संबंध में कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं करी है कि अन्य अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी नहीं हुई हो। ऐसे में यह स्थिति स्पष्ट है कि अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18.06.2016 व 19.06.2016 की मध्य रात्रि में किसी समय मौजा बांसवाड़ा में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बांसवाड़ा को राजकीय आवासीय परिसर में चोरी करने के आशय से अनधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कारित किया व उक्त आवास में लगे चंदन के पेड़ को काटकर अपने साथ ले जाकर चोरी की। संपूर्ण विवेचनानुसार अभियुक्त देवीलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क निवासी हनुमान कॉलोन मजीद खां के मकान में धरियावाद थाना धरियावाद जिला प्रतापगढ़

(राज.) पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बाँसवाड़ा (राज.)

17- **दंड के प्रश्न पर सुना गया-**

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क है अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः अभियुक्त को परीविक्षा पर रिहा किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी का यह तर्क है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना ही उचित होगा।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक 18.06.2016 व 19.06.2016 की मध्य रात्रि में किसी समय मौजा बांसवाड़ा में श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बांसवाड़ा को राजकीय आवासीय परिसर में चोरी करने के आशय से अनधिकृत प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन कारित किया व उक्त आवास में लगे चंदन के पेड़ को काटकर अपने साथ ले जाकर चोरी की। ऐसे में मुलजिम द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति व गंभीरता को मद्देनज़र रखते हुए अभियुक्त को न्यायोचित दण्ड से दण्डित करना ही उचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

18- अतः अभियुक्तगण देवीलाल पुत्र भेरूलाल उम्र वयस्क निवासी हनुमान कॉलोन मजीद खां के मकान में धरियावाद थाना धरियावाद जिला

प्रतापगढ़ (राज.) पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया जाता है-

अभियुक्त देवीलाल को धारा 380 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को 03 साल का साधारण कारावास व 1,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

अभियुक्त देवीलाल को धारा 457 भा.दं.सं. के अपराध में दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त को 03 साल का साधारण कारावास व 3,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त तीन माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतेगा।

प्रकरण में विचारण के दौरान यदि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा या पुलिस अभिरक्षा में रहा हो, तो उस अवधि को अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित मूल सजा अवधि में समायोजित किया जावे। अभियुक्त की उक्त दोनों सजाएं साथ्ज्ञ साथ चलेंगी। अभियुक्त का सजा वारण्ट तैयार किये जावे। अभियुक्त को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

प्रकरण में अभियुक्तगण 01- नासीर अली पुत्र अनार अली उम्र वयस्क निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 02- उदयलाल पुत्र गंगाराम उम्र वयस्क निवासी भादसौड़ा थाना भादसौड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 03- अकील उर्फ अल्ताफ पुत्र कमरूदिन उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.), 04- राजु खां पुत्र शरीफ खां उम्र वयस्क निवासी कलेन्द्रखेड़ा थाना निकुम्भ जिला प्रतापगढ़ (राज.), 05- हिरालाल पुत्र रतनलाल उम्र वयस्क निवासी निकुम्भ थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) व 06-

दिलशाद उर्फ तनु पुत्र अनार अली निवासी बरखेड़ा थाना निकुम्भ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) मफरूर हैं। अतः पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किये जाने का पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में पेश जमानत व मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बांसवाड़ा (राज.)

19- निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बांसवाड़ा (राज.)